संख्या -70/1068/84-1-2013-11(शि)/13

प्रेषक,

हरिकान्त त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग, उ.प्र.,
7, बाला कदर रोड, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक : 25 अक्टूबर, 2013

विषय श्री आर0पी0 सिंह, वरिष्ठ निरीक्षक, कानपुर के सम्बन्ध में प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायत पर दोषियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-375/निविमावि अधि0-1(वै0प0) 21/13, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-15/सीएम-36/84-1-2013, दिनांक 18.09.2013 द्वारा प्राप्त शिकायती पत्रों एवं प्रमाणित अभिलेखों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित करते हुए यह अपेक्षा की गई थी कि अभिलेखों की पुष्टि के उपरान्त एक सप्ताह के अंदर दोषियों के विरूद्ध विधिक एवं कठोर अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराया जाय। परन्तु उक्त पत्र द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता के घर का पता गलत है एवं श्री आर0पी0 सिंह, वरिष्ठ निरीक्षक से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रकरण में शासन की यह अपेक्षा थी कि जो अभिलेख शासन द्वारा प्रेषित किये गये हैं यथा, इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन के पत्र के साथ प्रेषित कैलीब्रेशन प्रमाणपत्रों एवं वरिष्ठ निरीक्षक, सरोजनीनगर, कानपुर द्वारा प्रेषित कैलीब्रेशन प्रमाणपत्रों की, प्रमाणिकता की उपलब्ध अभिलेखों से मिलान/पुष्टि करते हुए दोषी कार्मिकों के विरूद्ध विधिक एवं कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

2. अत: अनुरोध है कि उक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही बिना किसी विलम्ब के सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की सुस्पष्ट तथ्यात्मक आख्या शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(हरिकान्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://bhasindoor.up.nic.in